



**OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT
GENERAL (A&E), PUNJAB,
SECTOR-17E,
CHANDIGARH - 160017.**

संख्या : प्रशासन-1/ए/2021-22/189
दिनांक : 28.09.2021

कार्यालय आदेश

सामान्य कार्य विधि तथा प्रशासन शाखा की नियम पुस्तिका के पैरा 14.40 के अनुसार प्रत्येक सरकारी कर्मचारी का यह कर्तव्य है कि वह प्रति वर्ष यह देखे कि उसकी सेवा पुस्तिका का रखरखाव ठीक ढंग से किया जा रहा है जिसमें पेंशन आदि के लिए उनकी सेवाओं का सत्यापन करने में कोई कठिनाई न हो। अतः कार्यालय के सभी वरिष्ठ लेखा अधिकारियों एवं सहायक लेखा अधिकारियों से अनुरोध है कि वे प्रशासन-1 अनुभाग में अपनी सेवा पुस्तिका में अपने हस्ताक्षर दिनांक 30.09.2021 तक अवश्य कर दें और यह सुनिश्चित करे कि सेवा पुस्तिका में सभी प्रविष्टियां ठीक ढंग से की जा रही हैं और यदि किसी प्रकार की त्रुटि है तो प्रशासन-1 अनुभाग के संज्ञान में लाया जाए ताकि उसे सही किया जा सके।

हस्ता/-
वरिष्ठ लेखा अधिकारी (प्रशासन-1)

पृ० सं०: प्रशा-1/सेवा पुस्तिका/21-22/1690-93

दिनांक: 28.09.2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है:-

1. कार्यालय के सभी वरिष्ठ लेखा अधिकारी एवं सहायक लेखा अधिकारी।
2. सूचना पट्ट।
3. आई.टी. स्पोर्ट अनुभाग को डाटाबेस के माध्यम से परिचालित करने हेतु।
4. कार्यालय आदेश फाईल।

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (प्रशासन-1)